

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

अकबर भवन, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली, दिनांक 2 नवंबर, 2012

अधिसूचना

एस.ओ.(ई): केंद्रीय सरकार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री रोलखूमलेन बुहरिल, आईईएस: (टीएन:1984) को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में 5 नवंबर, 2012 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उत्प्रवास महासंरक्षी (पीजीई), प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के रूप में नियुक्त करती है।

(फा.सं.ए. 19011 / 06 / 2011— पीए)

अतुल तिवारी
(अतुल कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 011—24197916

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।